

राज्यों के चुनावी वित्तपोषण पर चर्चा : पारदर्शी चुनाव की राह

यह एडिटरियल 17/11/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“Should elections be state funded?”](#) लेख पर आधारित है। इसमें चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता के अभाव के बारे में चर्चा की गई है और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के संभावित समाधान के रूप में राज्य वित्तपोषण की संभावना पर विचार किया गया है।

प्रलिस के लिये-

[राज्यों द्वारा चुनावी वित्तपोषण](#), [भारत का मुख्य न्यायाधीश](#), [इंद्रजीत गुप्ता समिति](#), [भारत का वधिआयोग](#), [द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग](#), [राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग](#), [भारत नरिवाचन आयोग](#)।

मेन्स के लिये-

राज्यों द्वारा चुनावी वित्तपोषण, राज्यों द्वारा चुनावी वित्तपोषण पर गठित विभिन्न आयोग, राज्यों द्वारा चुनावी वित्तपोषण के पक्ष में तर्क, राज्यों द्वारा चुनावी वित्तपोषण के विरुद्ध तर्क, आगे की राह।

[भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) के नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ ने हाल ही में अपनी सुनवाई पूरी की जहाँ चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में मुख्य रूप से मतदाताओं के सूचना के अधिकार और दानदाताओं की गोपनीयता के परस्पर विरोधी पहलुओं पर विचार किया गया।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता की आवश्यकता इन कार्यवाहियों में केंद्रीय चर्चा का विषय रही। इस संदर्भ में, चुनावों के राज्य वित्तपोषण या सार्वजनिक वित्तपोषण पर पुनर्विचार का विषय एक बार फिर सामने आया है।

चुनावों का राज्य वित्तपोषण क्या है?

परिचय:

- [चुनावों का राज्य वित्तपोषण](#) (State Funding of Elections) एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें सरकार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह वित्तपोषण आम तौर पर सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होता है और इसका उद्देश्य नज्दी दान पर निर्भरता को कम करना तथा राजनीतिक अभियानों में नहिति स्वार्थों के संभावित प्रभाव को कम करना है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य चुनाव संबंधी विषयों में सभी प्रतभागियों के लिये पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसरों को बढ़ावा देना है।

राज्य वित्तपोषण के प्रकार :

- **प्रत्यक्ष वित्तपोषण:** इसमें सरकार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियानों का समर्थन करने के लिये प्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता प्रदान करती है।
- **अप्रत्यक्ष वित्तपोषण:** अप्रत्यक्ष वित्तपोषण में सब्सिडियुक्त या मुफ्त मीडिया पहुँच, कर लाभ, अभियान सामग्री के लिये सार्वजनिक स्थानों का मानार्थ उपयोग और उपयोगिताओं, यात्रा व्यय, परिवहन एवं सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं।

भारत में चुनावों के लिये राज्य वित्तपोषण की स्थिति:

- मौजूदा राज्य वित्तपोषण उपायों में आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय दलों के लिये और राज्य विधानमंडल चुनावों में पंजीकृत राज्य दलों के लिये सार्वजनिक प्रसारकों (public broadcasters) पर मुफ्त एयरटाइम आवंटित करना शामिल है।
- राष्ट्रीय दलों को सुरक्षा, कार्यालय स्थान और उपयोगिता सब्सिडी जैसे कुछ लाभ प्राप्त होते हैं।
- भारत में अप्रत्यक्ष राज्य वित्तपोषण का एक दूसरा रूप यह है कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयकर के भुगतान से छूट दी जाती है, जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 13A में निर्धारित है।

Politics and money

In 2018, the NDA government introduced a new mode of political funding, the electoral bonds, which was tipped by it as a key reform for 'cleaning up'. But the new system has met with criticism from opposition parties as well as transparency activists.

₹6,129 cr


Total funds raised through electoral bonds for political parties so far since its introduction (12 tranches)



According to a report by Centre of Media Studies titled *Poll Expenditure, The 2019 Elections*, the last general elections were the 'most expensive ever, anywhere'. A look at its key findings:

Estimates of poll spending between 1998–2019

(Expenditure in ₹ crore)




10-12% voters acknowledged getting cash directly

TWO-THIRDS of them said they are aware other voters also received cash

NEARLY ₹100 crore spent per Lok Sabha constituency

₹700 spent per vote by political parties and independents

Estimates of expenditure in 2019 (in ₹ cr)



* Estimate includes expenditure on assembly elections held in 2019 Source: Centre for Media Studies report 'Poll Expenditure, The 2019 Elections'

वभिन्न आयोगों ने चुनावों के राज्य वित्तपोषण के बारे में क्या कहा है?

- **इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998):**
 - समिति ने संवैधानिक, वधिक और सार्वजनिक हति कारणों से चुनावों के राज्य वित्तपोषण का समर्थन किया।
 - समिति ने माना कि यह विशेष रूप से सीमिति वित्तीय संसाधनों वाले दलों के लिये नषिपक्ष एकसमान अवसर प्रदान कर सकेगा।
- **भारतीय वधि आयोग (1999):**
 - आयोग ने माना कि राज्य द्वारा कूल वित्तपोषण वांछनीय है, बशरते राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से धन लेने से बचें।
 - आयोग द्वारा राज्य वित्तपोषण की शुरुआत से पहले राजनीतिक दलों के लिये एक नयामक ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **द्वितीय परशासनिक सुधार आयोग (2008):**
 - चुनाव खर्चों के "अवैध और अनावश्यक वित्तपोषण" पर अंकुश लगाने के लिये आंशिक राज्य वित्तपोषण की वकालत की।
 - शासन में नैतिकता के मुद्दे को संबोधित किया और अनुचित वित्तीय प्रभाव को कम करने के उपायों की अनुशंसा की।
- **राष्ट्रीय संवधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (2001):**
 - आयोग ने चुनावों के लिये सरकारी वित्तपोषण का समर्थन नहीं किया।
 - इसने राज्य के वित्तपोषण पर वधिार करने से पहले राजनीतिक दलों के लिये एक सुदृढ़ नयामक ढाँचे को लागू करने की शर्त पर वधिआयोग की रपिर्स्ट (1999) से सहमति जताई।

भारत में चुनावों के लिये राज्य वित्तपोषण के पक्ष में प्रमुख तरक क्या हैं?

- **एकसमान अवसर प्रदान करना:**
 - राज्य वित्तपोषण का उद्देश्य राजनीति में धन के प्रभाव को कम करना है और सबके लिये ऐसे एकसमान स्तर का नरिमाण करना है जहाँ राजनीतिक दल वित्तीय संसाधनों के बजाय वधिारों एवं नीतियों के आधार पर प्रतसिपर्द्धा कर सकें।
 - राज्य वित्तपोषण उन संभावित उम्मीदवारों के लिये वित्तीय बाधाओं को दूर करके अधिकि व्यक्तियों को राजनीति में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है जिनके पास व्यक्तगित संपत्तिया महत्त्वपूर्ण नजी वित्तपोषण तक पहुँच नहीं हो।
- **भ्रष्टाचार कम करना:**
 - सार्वजनिक वित्तपोषण प्रदान करने से नजी दान पर नरिभरता कम करने, भ्रष्ट आचरण की गुंजाइश कम करने और राजनीति में नहिति सवारथों के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
 - राज्य वित्तपोषण राजनीतिक वित्तपोषण में अधिकि पारदर्शिता लाने में योगदान कर सकता है, क्योंकि सार्वजनिक धन वनियमन एवं संवीक्षा के अधीन होते हैं, जो राजनीतिक अभयानों के वित्तीय पहलुओं में स्पष्ट अंतरदृष्टि प्रदान करते हैं।
- **नषिपक्ष प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देना**

- राज्य वित्तपोषण कुछ दलों या उम्मीदवारों को केवल उनके वित्तीय संसाधनों के आधार पर अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोककर नष्टिपक्ष प्रतस्पर्द्धा को बढावा दे सकता है ।
- नजीी दानदाताओं पर नरिभरता कम होने से नरिवाचति प्रतनिधियों को अधकि स्वतंत्रता मलि सकती है, जसिसे उन्हें प्रमुख दानदाताओं के हतियों की पूरत के बजाय सार्वजनकि हतियों पर ध्यान केंद्रति करने की अनुमतमिलिगी ।
- राजनीतिक दलों को सशक्त बनाना:
 - सार्वजनकि वित्तपोषण राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थरिता में योगदान कर सकता है, जसिसे उन्हें प्रत्येक चुनाव चक्र के लयि अल्पकालकि धन उगाहने के बजाय दीर्घकालकि लक्ष्यों और नीतविकसि पर ध्यान केंद्रति करने की अनुमतमिलिती है ।
 - राज्य वित्तपोषण में राजनीतिक दलों के बीच आर्थकि असमानताओं को दूर करने की क्षमता है, जसिसे यह सुनिश्चित हो सकता है कि छोटे या उभरते हुए दलों को लोकतांत्रकि प्रक्रयि में भाग लेने का उचित मौका मलि ।

POLITICAL FUNDING

SOURCE OF INCOME

Total income from known and unknown sources of six national parties and 51 recognised regional parties for 11 years from 2004-05 to 2014-15

	Total income	Income from unknown sources	% of total income*
National parties(6)	9,278.30	6,612.42	71
Regional parties(51)	2,089.04	1,220.56	58

* Income from unknown sources


NATIONAL VIEW

Total income of six national political parties from 2004-05 to 2014-15

National party	Total income	From known sources (above ₹20,000)	From other known sources	From unknown sources (below ₹20,000)
INC	3,982.09	400.32	258.38	3,323.39
BJP	3,272.63	917.86	228.86	2,125.91
CPM	892.99	15.04	406.79	471.15
BSP	763.95	0*	315.24	448.71
NCP	351.28	65.24**	43.02	243.03
CPI(M)	15.36	6.73	8.40	0.23
Grand total	9,278.3	1,405.19	1,260.69	6,612.42

*BSP declared that it didn't receive any donations above ₹20,000; **NCP didn't submit details for 2004-05, 2005-06 and 2006-07

Note: INC is Indian National Congress, BJP is Bharatiya Janata Party, CPM is Communist Party of India (Marxist), BSP is Bahujan Samaj Party, NCP is Nationalist Congress Party and CPI is Communist Party of India



चुनावों के लिये राज्य वित्तपोषण के वरिद्ध प्रमुख तर्क क्या हैं?

करदाताओं पर बोझ:

- चुनावों के लिये सार्वजनिक धन का उपयोग करने से करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो शायद नहीं चाहें कि उनका धन राजनीतिक गतिविधियों के लिये आवंटित किया जाए।
- भारत के पास सीमित वित्तीय संसाधन मौजूद हैं और राज्य द्वारा वित्तपोषित चुनावों के लिये धन आवंटित करने से इन संसाधनों को अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से दूसरी ओर मोड़ा जा सकता है।

दुरुपयोग की संभावना:

- संशयवादी (Skeptics) राज्य नधियों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग या वचिलन को रोकने के लिये कड़े नयिमों एवं जवाबदेही उपायों की आवश्यकता पर बल देते हैं।
- ऐसी चिंताएँ भी मौजूद हैं कि राजनीतिक लाभ के लिये राज्य के वित्तपोषण में हेरफेर किया जा सकता है, जहाँ सत्तारूढ़ दल के पास धन के आवंटन एवं वितरण का नियंत्रण होता है और यह संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

नरिभरता का जोखमि:

- राज्य वित्तपोषण से राजनीतिक दल सार्वजनिक धन पर अत्यधिक नरिभर बन सकते हैं, जिससे संभावित रूप से वित्तीय स्वतंत्रता और धन जुटाने में प्रयुक्त नवाचार बाधित हो सकता है।
- वरिधियों का तर्क है कि राज्य वित्तपोषण से राजनीतिक दलों में ज़मीनी स्तर पर धन जुटाने और स्थानीय स्तर पर अपने नरिवाचन क्षेत्रों से जुड़ने का प्रोत्साहन कम हो सकता है।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:

- आलोचक राज्य वित्तपोषण को लागू करने में मौजूद व्यावहारिक चुनौतियों को भी उजागर करते हैं, जैसे पात्रता मानदंड नरिधारित करना, धन को समान रूप से वितरित करना और प्रभावी नगरानी तंत्र स्थापित करना।
- कुछ लोगों का तर्क है कि राज्य द्वारा वित्तपोषित पहलों में नज़ी वित्तपोषण की तुलना में दक्षता एवं जवाबदेही की कमी हो सकती है, क्योंकि सार्वजनिक संस्थान उतने उत्तरदायी या पारदर्शी नहीं भी हो सकते हैं।

STEMMING THE ROT

There have been a plethora of suggestions and attempts to make political parties and the election process more transparent

REFORMS ORDERED BY SC SINCE 2003

Mar 2003 Says a voter has a fundamental right to know candidates' qualifications, assets, liabilities and criminal antecedents, if any

Jul 05 2013 Rules that freebies in poll manifestos vitiate electoral process; asks EC to frame guidelines after consulting with political parties

Jul 10 2013 Orders automatic disqualification of MPs/ MLAs convicted of crimes attracting punishment

of two years or above
Declares unconstitutional Section 8(4) of Representation of the People Act that allowed a convicted MP/MLA to continue in office

Sep 13 2013 Says knowing about a candidate is a voter's natural right and candidatures will be rejected if they refuse to disclose any information on their election affidavit

Sep 27 2013 Gives voters right to not back any candidate by ordering the none of the above (NOTA) option to be enabled in voting machines

Mar 10 2014 Sets one-year deadline for lower courts to complete trial in cases involving MPs, MLAs

Feb 5 2015 Rules a candidate's election can be declared 'null and void' due to non-disclosure of criminal antecedents



आगे की राह

- **व्यापक कानूनी सुधार:**
 - राजनीतिक दलों के वित्त, चुनाव व्यय और धन के स्रोतों को वनियमिती करने के लिये व्यापक कानूनी सुधार लागू किये जाएँ।
 - इसमें मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार करना और उन्हें सशक्त बनाना या खामियों को दूर करने के लिये नए कानून लाना शामिल हो सकता है।
 - चुनावी वित्तपोषण सुधारों की आवश्यकता पर सर्वदलीय सम्मति को प्रोत्साहित किया जाए।
- **राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता:**
 - राजनीतिक दलों को दानदाताओं के विवरण और प्राप्त राशि सहित धन के सभी स्रोतों का खुलासा करने का आदेश दिया जाए।
 - सुनिश्चित किया जाए कि यह सूचना जनता के लिये सुगम हो और इसे नियमिती रूप से अद्यतन किया जाए।
 - बड़े कॉर्पोरेट योगदान के प्रभाव को रोकने के लिये राजनीतिक दलों को दान की जाने वाली राशि पर एक ऊपरी सीमा आरोपित की जाए।
- **स्वतंत्र चुनावी नरीकषण:**
 - अभियान वित्त कानूनों के अनुपालन की नगिरानी एवं कार्यान्वयन के लिये भारत के नरिवाचन आयोग (ECI) जैसे स्वतंत्र चुनावी नरीकषण नकियों की भूमिका को सुदृढ़ करें। इन नकियों को पर्याप्त संसाधन और स्वायत्तता प्रदान करें।
- **लेखापरीकषा और जवाबदेही:**
 - राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों की संवीकषा के लिये एक मज़बूत लेखापरीकषा या ऑडिटिंग तंत्र स्थापित करें। इसमें उनकी आय, व्यय और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन का नियमिती ऑडिट करना शामिल होगा।
 - अवैध वित्तपोषण अभ्यासों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को प्रतशिोध के भय के बिना आगे आने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये सुदृढ़ सूचनादाता (whistleblower) सुरकषा लागू करें।
 - चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ। वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने और प्रकट करने के लिये ब्लॉकचेन या अन्य सुरकषित डिजिटल प्लेटफॉर्म का अन्वेषण करें, जसिसे एक अपरविरतनीय और सुलभ रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सके।
- **सर्वोत्तम अभ्यासों से प्रेरणा ग्रहण करना:**
 - चुनाव अभियान वित्तपोषण एवं चुनावी पारदर्शिता में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों का अध्ययन करें और उन्हें अपनाएँ।
 - उभरती चुनौतियों का समाधान करने और नरितर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये चुनावी वित्तपोषण नियमों की नियमिती समीकषा एवं अनुकूलन के लिये एक तंत्र स्थापित करें।
 - पारदर्शी चुनावी वित्तपोषण के महत्त्व के बारे में नागरिकों को शकषित करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

REFORMS PROPOSED BY LAW PANEL IN 2015

Political party reforms:

Recommends in March 2015 that the Representation of People Act should be amended to give the EC power to regulate parties

Internal party affairs:

Says EC should have power to look into parties' internal democracy, constitutions, organisation, elections, candidate selection, voting procedures

Power to de-register: EC does not have power to de-register a party. Law Commission said EC should have power to rescind recognition of a party if they violate laws

Watch on funding: Recommends mandatory disclosure of contributions above ₹20,000, including aggregate contributions from a single donor. Also suggested that names, addresses and PAN numbers of such donors be disclosed

Watch on books: Suggested parties maintain and submit to EC annual accounts duly audited by a CA approved by the Comptroller and Auditor General every financial year. It should be open to public scrutiny

Check corporate funding:

Recommends that contribution from a company's funds to a political party should be authorised by the company's Annual General Meeting (AGM) instead of its board of directors

Expenditure limit: Expenses incurred or authorised by candidates or their election agents currently extends from the date of nomination to the date of declaration of results. EC wants this period to be extended to apply from the date of notification of polls to the date of results.

नषिकरष

भरत में चुनरवी वतितपोषण में पारदरशरतलर लाकर देश अपने लोकतरतरकल संस्थरनों की नीव को सुदृढ़ कर सकता है और नरगरकल को इस ज्ञरन एवं वशरवरस के साथ सशकत बना सकता है कल उनके चुनरवी चयन (दल या उम्मीदवर) वतिततीय स्वररथों के अनुचतल परभरव के बजरय वचररों एवं मूल्यों से परभरवतल है ।

अभ्यरस परशुन: भरत में चुनरवों के लयल ररज्य वतितपोषण को लागू करने से जुड़े संभरवतल लरभों एवं चुनरूतयल कल चररुचर कीजरयल । भरत में अधकल न्यरयसंगत एवं जवरबदेह चुनरवी परकरयल के नरररण के लयल आप कनल नीतगत उपरयों के सुझरव दे सकते हैं?

UPSC सवलल सेवा परीकषर, वगत वरुषों के परशुन (PYQs)

??????????:

परशुन. नमलनलखलतल कथनों पर वचरर कीजरयल: (2017)

1. भरत नररवरचन अरयुग पौच सदस्यीय नकलरय है ।
2. संघ कल गृह मंतररलय अरम चुनरव और उर-चुनरव दोनों के लयल चुनरव कररुचरम तय करतल है ।
3. नररवरचन अरयुग मरन्यतर-पूररपूत ररजनलतकल दलों के वभरजन/वललर से संबधतल ववलद नपरतरतल है ।

उपररुक्त कथनों में से कौन-सर/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उतरर: (d)

??????:

परशुन. अरदरश अरचर संहतल के वकलस के अलुक में भरत के नररवरचन अरयुग की भूमकल पर चररुचर कीजरयल । (2022)

परशुन. इलेक्टूरनकल वुटगल मशीनों (ई.वी.एम.) के इस्तेमरल संबधी हरल के ववलद के अलुक में, भरत में चुनरवों की वशरवरस्यतर सुनशुचतल करने

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/state-funding-debate-a-path-to-transparent-elections>

